

अचल सम्पत्ति नीलामी इश्तहार:-
(जे0एच0वी0, सुगर मिल्स लिमिटेड पडरौना, कुशीनगर की नीलामी विषयक)

सर्वधारण को सुचित, किया जाता है कि बाकीदार जे0एच0वी0 सुगर मिल्स लिमिटेड (पूर्व नाम कानपुर सुगर वर्क्स लि0 पडरौना) की कुर्कशुदा चल, अचल सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नवत् है, कि सार्वजनिक बोली के माध्यम से नीलामी की जानी नियत है। इच्छुक क्रेता नीलामी के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार/नीलामी अधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण एवं शर्तें निम्नवत् हैं:-

1.चल सम्पत्ति:- मु0 4582.07 लाख रू0 नीलामी की तिथि दिनांक-22-12-2016

2.अचल सम्पत्ति:-

क्र0 सं0	गाटा संख्या	क्षे0(हे0 में)	न्यूनतम बोली (रू0)	अग्रिम जमानत की राशि	नीलामी तिथि	समय	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	448	0.0730	1192800.00	50000.00	22-12-2016	10.00 बजे सुबह से अपराह्न 02:00 बजे तक	तहसील परिसर पडरौना, जनपद-कुशीनगर।
2	509 का शेष रकबा	0.223	1301360.00	50000.00			
3	511खपू.का शेष रकबा	0.167	967720.00	50000.00			
4	512	0.0690	1127000.00	50000.00			
5	700	0.138	3219995.00	50000.00			
6	537खपू.	0.0770	1258600.00	50000.00			
7	1001खपू.	1.4610	92000000.00	50000.00			
8	1002खपू.	0.2230	14000000.00	50000.00			
9	1005खपू.	0.8690	55000000.00	50000.00			
10	215खपू.	1.460	7592000.00	50000.00			
11	216खपू.	0.0490	1960000.00	50000.00			

- यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/फर्मों को अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड इत्यादि सहित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को अग्रिम जमानत राशि उपरोक्तानुसार जमा करना होगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति /फर्म पागल, दिवालिया या आपराधिक पृवृत्ति का नहीं है तथा सभी अस्त-शस्त्र पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगें।
- यह कि नीलामी में सबसे ऊंची धनराशि की बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी धनराशि का 1/4 तत्काल जमा करना होगा तथा, 15दिन के अन्दर शेष अर्थात् 3/4 धनराशि जमा करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म द्वारा अग्रिम जमानत के रूप में जमा की गई 1/4 धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
- यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म. सबसे ऊंची बोली बोलने के पश्चात् यदि नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से मुकर जाता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुनः नये सिर से नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
- यह कि नीलामी की समस्त कार्यवाही/स्वीकृती के सर्वाधिकार जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी महोदय के पास सुरक्षित होगा तथा अन्तिम निर्णय जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया जायेगा।
- नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक दिन पूर्व अपना नाम व पता व परिचय पत्र कार्यालय मे जमा कर दे।

ज्वाइंट मटिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
पडरौना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पडरौना।

संख्या- 1238 /संग्रह-16

दिनांक 23.....नवम्बर,2016

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- पुलिस अधीक्षक महोदय, कुशीनगर।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, कुशीनगर।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- जिला गन्ना अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- जिला सूचना अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद कुशीनगर।
- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कुशीनगर।
- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद कुशीनगर।
- संपादन/संवाददाता, दैनिक जागरण, हिन्दूस्तान, राष्ट्रीय सहारा, को इस आशय के साथ प्रेषित के अपने अगले अंक मे इसे प्रकाशित करावें, एवं भुगतान हेतु उसकी एक प्रति उपलब्ध करावें।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कुशीनगर, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sanjay
23/11/16

ज्वाइंट मटिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
पडरौना।